मास्टर परिपत्र - एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का संवितरण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से सरकारी पेंशनभोगियों को विविध पेंशन भुगतान योजनाओं के अंतर्गत पेंशन का भुगतान

प्रस्तावना

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई संबंधित योजनाओं द्वारा शासित होता है तथा इसमें मूल पेंशन, बढ़ी हुई महंगाई राहत और सरकारों द्वारा घोषित किए जाने पर अन्य लाभों का भुगतान शामिल है। इस संबंध में जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों का सार सूचना के लिए यहां दिया जा रहा है।

1. राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को दी जानेवाली महंगाई राहत इत्यादि संबंधी सरकारी आदेशों को राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित करना

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.416/45.01.003/2002-03 दिनांकित 21 मार्च 2003 और डीजीबीए.जीएडी.सं.770/45.01.003/2003-04 दिनांकित 25 फरवरी 2004)

महंगाई राहत आदेशों के जारी होने और लाभार्थी को महंगाई राहत का भुगतान किए जाने के बीच के समय-अंतराल को समाप्त करने तथा वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन भुगतान करने वाले एजेंसी बैंक, राज्य के मुख्यालयों में प्राधिकृत बैंकों के प्रधान कार्यालयों और/अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों को सरकार द्वारा भेजे गए आदेशों की प्रति का पालन करें।

इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि उक्त परिपत्रों को राज्य सरकारों की सुरक्षित वेबसाइट पर डाला जाए।

सभी **राज्य सरकारों** को महंगाई राहत से संबंधित सरकारी आदेश भारतीय रिज़र्व बैंक को इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में और हार्ड कॉपी में भी भेजने का विकल्प दिया गया है ताकि रिज़र्व बैंक उसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर सके।

2. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय - महंगाई राहत इत्यादि के संबंध में सरकारी आदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से भेजना बंद करना।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-506/45.01.001/2002-03 दिनांक 12 अप्रैल 2003)

महंगाई राहत इत्यादि संबंधी आदेशों के जारी होने एवं लाभार्थियों को वास्तविक रूप से भुगतान होने के बीच के समय-अंतराल को समाप्त करने और वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

i. वित्त मंत्रालय से जैसे ही संशोधित दर पर महंगाई राहत की मंजूरी प्राप्त होती है, पेंशनभोगियों को संशोधित दरों पर महंगाई राहत के भुगतान के आदेश जारी कर दिए जाते हैं और ऐसे आदेशों की प्रतियां तुरंत ई-मेल और फैक्स द्वारा सभी एजेंसी बैंकों के प्रमुखों को इन अनुदेशों के साथ भेज दी जाती हैं कि वे महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

ii. उक्त आदेश कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.persmin.nic.in) पर भी हैं।

iii. आदेशों की प्रतियां डाक द्वारा सभी एजेंसी बैंकों के प्रमुखों को भी भेजी जाती हैं और भारतीय बैंक संघ इन्हें प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अब महंगाई राहत के संबंध में सरकारी आदेश एजेंसी बैंकों को अग्रेषित नहीं करेगा।

3. फॉर्म "ए" और "बी" में नामांकन स्वीकार करना - केंद्रीय सिविल पेंशन (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.94/45.05.031/2004-05 दिनांक 24 अगस्त 2004)

पेंशनभोगियों और उनके उत्तराधिकारियों को होने वाली असुविधा का निवारण करने की दृष्टि से, सरकार द्वारा यह सलाह दी गयी है कि सभी पेंशन भुगतान करने वाली बैंक शाखाएँ पेंशनभोगियों द्वारा उनके उत्तराधिकारियों को पेंशन के बकाए के भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए फार्म "ए" अथवा "बी", जैसा भी मामला हो, में नामांकन स्वीकार करें।

4. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले अखिल भारतीय सेवा-अधिकारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए प्रकिया का कार्यान्वयन

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.**612-644/45.01.001/2004-05** दिनांक **7** अक्तूबर**, 2004**)

एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को पेंशन के भुगतान के लिए निम्नानुसार लेखांकन प्रक्रिया का पालन करें:

(i) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों के पीपीओ नंबर में, केंद्रीय सिविल पेंशनभोगी के लिए प्रयुक्त 12 अंकीय संख्या घटक के अलावा, पेंशनभोगी की सेवा तथा संबंधित राज्य संवर्ग दर्शाने वाला एक उपसर्ग शामिल होगा। पंजाब संवर्ग के एक आईएएस अधिकारी के लिए एक नमूना पीपीओ नंबर इस प्रकार होगा - आईएएस/पी बी/438840400191।

(ii) अखिल भारतीय सेवा के पेंशनभोगियों को **केवल** प्राधिकृत बैंकों अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चार अधिकृत निजी क्षेत्र के बैंकों अर्थात आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, यूटीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से ही पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा।

(नोट – आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और यूटीआई बैंक का नाम अब एएक्सआईएस (AXIS) बैंक लिमिटेड है।)

(iii) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) द्वारा जारी विशेष सील प्राधिकार (एसएसए) केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों के लिए जारी प्राधिकारों से उन्हें अलग दर्शाने हेतु नीले रंग में होंगे। इसके अलावा, प्राधिकारी उस राज्य सरकार के नाम की ओर संकेत करेंगे जिसके खाते में भुगतान डेबिट किया जाएगा।

(iv) एसएसए की एक प्रति संबधित महालेखाकार को उनकी सूचना और रिकार्ड के लिए भेजी जाएगी।

(v) बैंक की संबंधित प्रदाता शाखाएं पेंशनभोगी की पहचान के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद भुगतान करेगी और रिज़र्व बैंक/स्टेट बैंक जैसा भी मामला हो, की प्रतिपूर्तिकर्ता शाखाओं को प्रतिपूर्ति के लिए उनके माध्यम से भुगतान करने हेतु राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए तैयार किए गए स्क्रॉल में अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी का नाम शामिल करेंगी। केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन की प्रतिपूर्ति की सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत ऐसे स्क्रॉल प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन्हें केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को नहीं भेजा जाना चाहिए।

(vi) प्रतिपूर्तिकर्ता शाखाएं राज्य सरकार के पेंशनभोगियों की प्रक्रिया अपनाएंगी और रिज़र्व बैंक, सीएएस, नागपुर तथा संबंधित महा लेखाकार के तदनुरूपी स्क्रॉल को सूचना भेजेंगी।

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएएस, नागपुर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के खाते को डेबिट करेगा।

5. रक्षा पेंशनभोगियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान की योजना - पेंशन भुगतान स्क्रॉल प्रस्तुत करने में देरी और जाली तथा कपटपूर्ण भुगतान टालने के उपाय। (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.**867-899/45.02.001/2004-05** दिनांक **18** अक्तूबर **2004**)

यह देखा गया है कि पेंशन प्रदाता बैंक पेंशन प्राधिकारियों को दो से तीन महीने के बाद पेंशन-भुगतान स्क्रॉल प्रस्तुत करते हैं।

ये स्क्रॉल प्रायः (समूह) बंच" में होते हैं। इस संबंध में "रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की योजना" बुकलेट के पैराग्राफ 9(6), 10 और 11 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनमें प्रदाता शाखाओं, लिंक शाखाओं और प्रतिपूर्तिकर्ता शाखाओं द्वारा पेंशन भुगतान स्क्रॉल के प्रेषण की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। संपूर्ण प्रक्रिया तयशुदा समय-सीमा के अनुसार पूरी की जानी चाहिए ताकि भुगतान स्क्रॉल अंततः, पीसीडीए (पेंशन),के कार्यालय के पास (संबंधित महीने के बाद आने वाले महीने की 15वीं तारीख तक मार्च महीने के स्क्रॉल को छोड़कर, जो अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष के तीसरे सप्ताह)। प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन) के कार्यालय ने यह भी देखा है कि पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा कुछ मामलों में निर्धारित जांच-पड़ताल किए बिना जाली तथा कपटपूर्ण पीपीओ पर धोखेबाजों को उपदान और कम्यूटेशन की राशि अदा कर दी गई थी। यह भी देखा गया है कि पेंशन के प्रथम भुगतान के मामलों में, स्क्रॉल पर या तो पीपीओ नंबरों का उल्लेख नहीं किया गया था अथवा गलत पीपीओ नंबर उल्लेख किए गए थे जिससे भुगतान की यथातथ्यता का सत्यापन करना कठिन हो गया था। इसके अलावा, इन भुगतानों को मुख्य पेंशन भुगतान स्क्रोलों में रक्षा पेंशनभोगियों के नियमित मासिक भुगतानों के साथ दिखाया जा रहा था।

पेंशन प्रदाता शाखाओं/लिंक शाखाओं/प्रतिपूर्तिकर्ता शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करने के लिए अधिक कार्यक्षम प्रणाली अपनाएं।

i. पेंशन प्रदाता शाखाओं द्वारा निर्धारित समय के भीतर (अनुवर्ती महीने की 10वीं तारीख तक) लिंक शाखाओं को पेंशन भुगतान स्क्रॉल प्रस्तुत करना होगा। स्क्रोलों की बंचिंग नहीं की जानी चाहिए।
ii. लिंक शाखाओं द्वारा प्रति माह की 11वीं तारीख तक वितरक बैंकों (भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक आदि, जैसा भी मामला हो) को सारांश- पत्रक और सारांश-दस्तावेजों के साथ स्क्रॉल की मूल प्रति भेजना होगा।
iii. प्रतिपूर्ति करने वाले बैंकों द्वारा, सरकारी खाते में नामे डाल कर पेंशन प्रदाता बैंक को राशि की प्रतिपूर्ति करने के बाद स्क्रोलों की मूल प्रति सीधे रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद को भेजी जानी चाहिए ताकि वह अनुवर्ती महीने की 15वीं तारीख तक प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन) के पास पहुँच जाएं। मार्च महीने के स्क्रोलों के लिए यह तारीख लागू नहीं है।
iv. पेंशन के प्रथम भुगतानों के मामलों में, पेंशन प्रदाता शाखाओं द्वारा सावधानीपूर्वक स्क्रॉल तैयार किए जाने चाहिए जिनमें प्रत्येक पेंशनभोगी के नाम के सामने सही पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर, उपदान और सारांशीकरण की राशि का उल्लेख हो। वे नियमित मासिक भुगतान मामलों के अलावा अलग से मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाए। नियमित मासिक भुगतान मामले **अलग** सारांश-पत्रक के साथ **अलग से** तैयार किए जाते रहेंगे।
v. पेंशन प्रदाता शाखाओं द्वारा प्रथम पेंशन भुगतान मामले के अलावा नियमित मासिक पेंशन भुगतान मामलों के लिए अलग सारांश-पत्रक तैयार किया जाना चाहिए।

6. सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान की योजना - कपटपूर्ण भुगतान टालने हेतु उपाय।

(सं. आरबीआई/2005/334) (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.3389-3421/45.02.001/ 2004-05 दिनांक 06 जनवरी 2005)

रेल मंत्रालय, भारत सरकार (रेलवे बोर्ड) ने हमें सूचित किया है कि उनके सतर्कता विभाग ने ऐसे धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाया है जिनमें सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों द्वारा जाली पेंशन भुगतान आदेशों (पीपीओ) के आधार पर अनधिकृत व्यक्तियों को पेंशन/पेंशन की बकाया राशि वितरित कर दी गई थी। उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि पेंशन प्रदाता शाखाओं द्वारा ऐसे कपटपूर्ण भुगतान निर्धारित जांच बिंदुओं का पालन किए बिना किए गए थे, जैसे ऐसे परिकलन पत्र (केल्कुलेशन शीट) पर भरोसा करके भुगतान कर दिया जाना, जिस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आदि के हस्ताक्षर नहीं थे एवं विशेष रूप से बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान आदेशों की प्राप्ति के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया जाना आदि शामिल है।

रेलवे पेंशन प्रदाता शाखाओं से अनुरोध है कि वे जाली पेंशन भुगतान आदेशों के आधार पर कपटपूर्ण भुगतान टालने के लिए रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन के संवितरण हेतु रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा "सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से रेलवे पेंशन के भुगतान की योजना" में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें।

7. केंद्रीय सिविल पेंशन का भुगतान - पेंशन भुगतान आदेशों (पीपीओ) के दोनों अर्धांशों में महंगाई राहत की प्रविष्टि

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.3452-3485/45.01.001/2004-05 दिनांक 11 जनवरी 2005)

हमारे ध्यान में आया है कि कुछ पेंशन प्रदाता बैंक शाखाएं मूल दरों में जब भी कभी परिवर्तन होता है, उसके आधार पर मूल पेंशन/परिवार पेंशन की राशि को संबंधित पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) के **दोनों अर्धांशों** में अद्यतन (अपडेट) नहीं करती है।

इस सबंध में, हम "सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान की योजना" के पैरा 12.17 और 19.1 को नीचे दर्शा रहें हैं:

"जब भी कभी पेंशन और/अथवा पेंशन पर महंगाई राहत की मूल दरों में परिवर्तन होता है तो भुगतान करने वाली शाखा पेंशनभोगियो के पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) का अर्धांश मंगवाकर उन पर परिवर्तन रिकार्ड करेगी तथा अन्य बातों के साथ-साथ परिवर्तन की प्रभावी तारीख(खें) भी लिखेगी। ऐसा करने के बाद, वे अर्धांश पेंशनभोगियों को लौटा दिए जाएंगे"(पैरा 12.17)

"जब भी कभी पेंशन पर सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त राहत मंजूर की जाती है तो इस आशय की एक सूचना कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) द्वारा सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक नामित बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि को (नाम से) उसके द्वारा दिए गए पते पर भेजी जाएंगी। उसके बाद यह बैंकों की जिम्मेदारी होगी कि वे दिल्ली अथवा अन्य स्थानों पर कार्यरत अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधित रेडी रेकनर सहित मंजूरी आदेशों की आवश्यकतानुसार संख्या में प्रतियां (संख्या अग्रिम रूप से सूचित की जाएं) कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग) से प्राप्त करेंगे और उन्हें तुरंत अपने-अपने प्रधान कार्यालयों को भेजेंगे ताकि वहां से उन्हें सीधे प्रदाता शाखाओं को दस दिन के भीतर कार्यान्वयन हेतु भेजा जा सके। प्रत्येक प्रदाता शाखा अपने भुगतान के अंतर्गत केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन पर देय राहत की संशोधित दरें तत्काल निर्धारित करेगी। अलग-अलग पेंशनभोगियों के लिए लागू इन दरों का हिसाब संलग्नक XXII (पृष्ठ 41) में दिए अनुसार लगाया जाएगा तथा इस कारण से पेंशनभोगियों को संशोधित दर पर और राहत अथवा बकाया राशि यदि कोई देय हो तो उसका का भुगतान प्रारंभ करने से पूर्व **उसे राहत की प्रभावी तारीख के साथ पेंशन भुगतान आदेशों के संवितरक के भाग में नोट किया जाएगा और शाखा प्रबंधक अथवा प्रभारी द्वारा साक्ष्यंकित किया जाएंगा** ....." (पैरा 19.1)।

बैंकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रावधानों की ओर अपनी पेंशन प्रदाता शाखाओं का ध्यान आकृष्ट करें और उन्हें उक्त अनुदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहे।

8. एजेंसी बैंकों द्वारा रेलवे पेंशन का संवितरण - ऐसे प्रमुख क्षेत्र जहां बैंक अधिक भुगतान कर सकते हैं।
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.6073/45.05.031/2004-05 दिनांक 30 मई 2005)

रेलवे पेंशनभोगियों के संबंध में वित्तीय परामर्शदाता और मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय, मध्य रेलवे, मुंबई से ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की एक सूची प्राप्त हुई है जहाँ बैंक अधिक भुगतान कर सकते हैं। वह

सूची इस अनुरोध के साथ सभी एजेंसी बैंकों को भेजी गई है कि वे उसे अपनी पेंशन प्रदाता शाखाओं के बीच परिचालित करें तथा उन्हें यह अनुदेश दें कि वे रेलवे पेंशन के अधिक भुगतान टालने के लिए उचित कार्रवाई करें।

9. पेंशन के बकाया के भुगतान के लिए रेलवे पेंशनभोगियों के संबंध में नामांकन (फॉर्म 'ए' और 'बी') स्वीकार करना

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-3611/45.03.002/2005-06 दिनांक 10 अक्तूबर 2005)

पेंशनभोगियों को होने वाली असुविधा का निवारण करने की दृष्टि से रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने रेलवे पेंशनभोगियों के लिए भी केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) द्वारा निर्धारित नामांकन फॉर्म ('ए' और 'बी') अपनाने का निर्णय लिया है। एजेंसी बैंकों को सूचित किया था कि वे समस्त पेंशन प्रदाता बैंक शाखाएं उत्तराधिकारी/यों को पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए / रेलवे पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत फार्म "ए" अथवा "बी" जैसा भी मामला हो, में नामांकन स्वीकार करें।

10. रेलवे पेंशनभोगियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन के भुगतान की योजना- रेल मंत्रालय द्वारा सात नए जोन के एफए और सीएओ का मनोनयन।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.10746/45.03.001/2005-06 दिनांक 24 जनवरी 2006)

रेल मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2006 से प्राधिकृत बैंकों द्वारा रेलवे पेंशनभोगियों को वितरित पेंशन भुगतान के संबंध में पेंशन डेबिट को स्वीकार करने के लिए सात नए जोन (अर्थात उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर; पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर; पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर; उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद; दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर; दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली; और पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर) के एफए और सीएओ को नामित करने का निर्णय लिया है।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का संवितरण – महंगाई राहत का भुगतान (डीआर)

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.11303/45.01.003/2005-06 दिनांक 06 फरवरी 2006)

पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को सूचित किया गया कि वे सरकारी आदेशों की प्रतियाँ तत्काल प्राप्त करने के लिए तंत्र स्थापित करें और इसे पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को उनके स्तर पर कार्रवाई के लिए जारी करें ताकि पेंशनभोगियों को अगले महीने के पेंशन भुगतान में ही सरकार द्वारा घोषित लाभ मिल सकें। एजेंसी बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों/प्रधान कार्यालयों को पात्र पेंशनभोगियों को सरकारी पेंशन के समय पर और सही संवितरण की बारीकी से निगरानी और पर्यवेक्षण करना चाहिए। इसके अलावा, केंद्रीय सिविल और रेलवे पेंशनभोगियों के मामले में, पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को पासबुक के पहले पन्ने पर नामांकन फॉर्म 'ए' और 'बी' के अनुसार नामांकित व्यक्तियों के नाम की पुष्टि करनी चाहिए और शाखाओं को यह सुनिश्चित करने को कहा जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशनभोगियों को पेंशन के संवितरण के लिए योजनाओं में निर्धारित प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया जाए। पेंशन भुगतान योजनाओं/नियमों के बारे में कर्मचारियों में बेहतर जागरूकता पैदा करने

के लिए, बैंक इसे अपने प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल कर सकते हैं।

12. प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगियों द्वारा अपने पति/पत्नी के साथ संचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.12736/45.03.001/2005-06 दिनांक 24 फरवरी 2006)

केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (सीपीएओ) द्वारा केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में मौजूद पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन राशि जमा करने के संबंध में 13 अक्तूबर 2005 के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के परिपत्र सं. RBA.63/2005 (2005/ACII/21/19 में जारी अनुदेश के माध्यम से रेलवे पेंशनभोगियों पर भी लागू होता है। रेल मंत्रालय के उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2005 में उल्लिखित कुछ निबंधन और शर्तों के अधीन 'पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति' अथवा 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' के आधार पर पति या पत्नी के साथ पेंशनभोगी का संयुक्त खाता संचालित किया जा सकता है।

13. प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगी द्वारा अपने पति/पत्नी के साथ संचालित संयुक्त बैंक खाते में पेंशन जमा करना:

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-2134/45.02.001/2006-07 दिनांक 4 अगस्त 2006)

रक्षा मंत्रालय और प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक ने पेंशन के भुगतान की योजना को संशोधित किया है और पेंशनभोगी द्वारा अपने पति या पत्नी, जिसके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में पारिवारिक पेंशन के लिए एक प्राधिकरण मौजूद है, के साथ संचालित संयुक्त खाते में भी पेंशन जमा करने की अनुमति दी गई है। पति या पत्नी के साथ पेंशनभोगी का संयुक्त खाता 'पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति' अथवा 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' के आधार पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन संचालित किया जा सकता है:

(ए) एक बार पेंशनभोगी के बैंक खाते में पेंशन जमा हो जाने के बाद, सरकार/बैंक का दायित्व समाप्त हो जाता है। आगे कोई देनदारी नहीं बनती है, भले ही पति या पत्नी गलत तरीके से राशि निकालते हों।

(बी) चूंकि पेंशनभोगी के जीवन के दौरान ही पेंशन देय होती है, इसलिए उसकी मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द और किसी भी मामले में मृत्यु के एक महीने के भीतर बैंक को दी जाएगी, ताकि बैंक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद जीवनसाथी वाले संयुक्त खाते में मासिक पेंशन जमा करना जारी न रखे। हालांकि, यदि कोई राशि गलत तरीके से संयुक्त खाते में जमा की गई है, तो यह संयुक्त खाते और/या पेंशनभोगी/पति/पत्नी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से रखे गए किसी भी खाते से वसूली योग्य होगी। कानूनी वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक आदि भी किसी भी राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसे संयुक्त खाते में गलत तरीके से जमा किया गया है।

(सी) पेंशन के बकाया का भुगतान (नामांकन) नियम 1983 पेंशनभोगी के पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाते पर लागू रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि इन नियमों के नियम 5 एवं 6 के अनुसार 'स्वीकृत नामांकन' होता है, तो नियमों में उल्लिखित बकाया नामांकित व्यक्ति को देय होगा।

मौजूदा पेंशनभोगी जो अपनी पेंशन ऊपर बताए गए संयुक्त खाते में जमा कराने के इच्छुक हैं, उन्हें उस शाखा बैंक में एक आवेदन जमा करना होगा, जहां से वे वर्तमान में निर्धारित प्रपत्र में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में पेंशनभोगी के पति या पत्नी द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये निर्देश उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं जो इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के बाद सेवानिवृत्त होंगे।

14. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल (भाग ए) सरकारी पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की योजना - पेंशनभोगी द्वारा अपने पति/पत्नी के साथ संचालित संयुक्त बैंक खाते में पेंशन जमा करना।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.6926/45.05.005/2006-07 दिनांक 30 अक्टूबर 2006)

पश्चिम बंगाल सरकार ने पेंशनभोगी द्वारा अपने पति/पत्नी, जिसके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में पारिवारिक पेंशन के लिए एक प्राधिकरण मौजूद है, के साथ संचालित एक संयुक्त खाते में भी पेंशन के भुगतान की अनुमति देने वाली योजना को संशोधित किया है,। पति या पत्नी के साथ पेंशनभोगी का संयुक्त खाता 'पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति' अथवा 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' के आधार पर निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन संचालित किया जा सकता है:

(ए) एक बार पेंशनभोगी के बैंक खाते में पेंशन जमा हो जाने के बाद, सरकार/बैंक का दायित्व समाप्त हो जाता है। आगे कोई देनदारी नहीं बनती है, भले ही पति या पत्नी गलत तरीके से राशि निकालते हों।

(बी) चूंकि पेंशनभोगी के जीवन के दौरान ही पेंशन देय होती है, इसलिए उसकी मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द और किसी भी मामले में मृत्यु के एक महीने के भीतर बैंक को दी जाएगी, ताकि बैंक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद जीवनसाथी वाले संयुक्त खाते में मासिक पेंशन जमा करना जारी न रखे। हालांकि, यदि कोई राशि गलत तरीके से संयुक्त खाते में जमा की गई है, तो यह संयुक्त खाते और/या पेंशनभोगी/पति/पत्नी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से रखे गए किसी भी खाते से वसूली योग्य होगी। कानूनी वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक आदि भी किसी भी राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसे संयुक्त खाते में गलत तरीके से जमा किया गया है।

(सी) पेंशन के बकाया का भुगतान (नामांकन) नियम 1983 पेंशनभोगी के पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाते पर लागू रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि इन नियमों के नियम 5 एवं 6 के अनुसार 'स्वीकृत नामांकन' होता है, तो नियमों में उल्लिखित बकाया नामांकित व्यक्ति को देय होगा।

मौजूदा पेंशनभोगी जो अपनी पेंशन ऊपर बताए गए संयुक्त खाते में जमा कराने के इच्छुक हैं, उन्हें उस शाखा बैंक में एक आवेदन जमा करना होगा, जहां से वे वर्तमान में निर्धारित प्रपत्र में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में पेंशनभोगी के पति या पत्नी द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये निर्देश उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं जो इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के बाद सेवानिवृत्त होंगे।

15. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पंजाब सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की योजना।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच-8973/45.05.003/2006-07 दिनांक 24 नवंबर, 2006)

पंजाब सरकार ने पेंशन के भुगतान की योजना में संशोधन किया है, जिसमें पेंशन की क्रेडिट की अनुमति पंजाब सरकार के पेंशनभोगी द्वारा अपने पति या पत्नी के साथ संचालित एक संयुक्त खाते में भी दी जाती है, जिसके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में पारिवारिक पेंशन के लिए एक प्राधिकरण मौजूद है। पति या पत्नी के साथ पेंशनभोगी का संयुक्त खाता 'पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति' अथवा 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' के आधार पर निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन संचालित किया जा सकता है:

(ए) एक बार पेंशनभोगी के बैंक खाते में पेंशन जमा हो जाने के बाद, सरकार/बैंक का दायित्व समाप्त हो जाता है। आगे कोई देनदारी नहीं बनती है, भले ही पति या पत्नी गलत तरीके से राशि निकालते हों।

(बी) चूंकि पेंशनभोगी के जीवन के दौरान ही पेंशन देय होती है, इसलिए उसकी मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द और किसी भी मामले में मृत्यु के एक महीने के भीतर बैंक को दी जाएगी, ताकि बैंक जीवनसाथी वाले संयुक्त खाते में मासिक पेंशन जमा करना जारी न रखे। हालांकि, यदि कोई राशि गलत तरीके से संयुक्त खाते में जमा की गई है, तो यह संयुक्त खाते और/या पेंशनभोगी/पति/पत्नी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से रखे गए किसी भी खाते से वसूली योग्य होगी। कानूनी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, निष्पादक आदि भी किसी भी राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसे संयुक्त खाते में गलत तरीके से जमा किया गया है।

(सी) पंजाब वित्तीय नियमावली खंड । के नियम 5.3 बी के अंतर्गत नोट 4 के अनुसार पेंशन के बकाया भुगतान के लिए नामांकन हेतु प्रावधान और इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश पेंशनभोगी जीवनसाथी वाले किसी संयुक्त बैंक खाते पर लागू रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि यदि इन नियमों के अनुसार 'स्वीकृत नामांकन' होता है, तो नियमों में उल्लिखित बकाया नामांकित व्यक्ति को देय होगा। वित्त विभाग, पंजाब के दिनांक 20 नवंबर 1984 की परिपत्र संख्या 21 (1)83-एफआर (6)11991 द्वारा संशोधित नामांकन प्रपत्रों में संशोधन किया गया है।

मौजूदा पेंशनभोगी जो अपनी पेंशन ऊपर बताए गए संयुक्त खाते में जमा कराने के इच्छुक हैं, उन्हें उस शाखा बैंक में एक आवेदन जमा करना होगा, जहां से वे वर्तमान में निर्धारित प्रपत्र में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में पेंशनभोगी के पति या पत्नी द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये निर्देश उन सरकारी सेवकों पर भी लागू होते हैं जो इस पत्र के जारी होने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

16. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केंद्र सरकार पेंशन का संवितरण - पेंशन पर्ची जारी करना
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच.10975/45.05.031/2006-07 दिनांक 9 जनवरी 2007)

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों (सिविल) को पेंशन शुरू होने पर और उसके बाद, जहां भी पेंशन की मात्रा में परिवर्तन होता है, पेंशन पर्ची जारी की जाए। सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को उपयुक्त निर्देश जारी करें।

17. रक्षा पेंशन भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली की शुरूआत
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-13834/45.02.001/2006-07 दिनांक 13 मार्च 2007)

प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) के कार्यालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी रक्षा पेंशन की प्रतिपूर्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू की जाए। इसलिए, प्रतिपूर्ति करने वाले बैंक यानी आरबीआई (पीएडी), एसबीआई और उसके सहयोगी बैंक 1 अप्रैल 2007 से बैंकों द्वारा किए गए रक्षा पेंशन भुगतानों की प्रतिपूर्ति करना बंद कर देंगे। केंद्रीय सिविल पेंशन के मामले की तरह निधि निपटान के लिए पेंशन भुगतान लेनदेन को नागपुर में लिंक सेल के माध्यम से केंद्रीय लेखा अनुभाग भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर में रिपोर्ट किया जा सकता है। एजेंसी बैंकों को भुगतान स्क्रॉल को सीधे नाम से श्री बीडी तिवारी, एसएओ (पी) कार्यालय पीसीडीए (पी), द्रौपदी घाट, इलाहाबाद को भेजना होगा।

1 अप्रैल 2007 से पहले बकाया सभी पिछले लेन-देन, जिसके लिए पेंशन भुगतान स्क्रॉल सूचना आवश्यक है, को आरबीआई/एसबीआई और उसके सहयोगियों की प्रतिपूर्ति शाखाओं के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

18. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की योजना:
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी. एच-14279/45.05.024/2006-07 दिनांक 23 मार्च 2007)

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन के भुगतान की योजना में संशोधन किया है और पेंशनभोगी द्वारा अपने पति या पत्नी के साथ संचालित एक संयुक्त खाते में भी पेंशन की अनुमति दी गई है, जिसके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में पारिवारिक पेंशन के लिए एक प्राधिकरण मौजूद है। पति या पत्नी के साथ पेंशनभोगी का संयुक्त खाता या तो 'पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति' अथवा

'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' के आधार पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन संचालित किया जा सकता है।

(ए) एक बार पेंशनभोगी के बैंक खाते में पेंशन जमा हो जाने के बाद, सरकार/बैंक का दायित्व समाप्त हो जाता है। आगे कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है, भले ही पति/पत्नी गलत तरीके से पेंशनभोगी की जानकारी के बिना राशि आहरित कर लेते हैं।

(बी) चूंकि पेंशनभोगी के जीवनकाल में ही पेंशन देय होती है, उसकी मृत्यु की सूचना उसके पति/पत्नी द्वारा जल्द से जल्द और किसी भी स्थिति में मृत्यु के एक महीने के भीतर बैंक को दी जाएगी, ताकि बैंक मासिक पेंशन पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद जीवनसाथी के साथ वाले संयुक्त खाते में जमा करना जारी न रखे। हालांकि, यदि संयुक्त खाते में कोई राशि गलत तरीके से जमा की गई है, तो यह संयुक्त खाते या पेंशनभोगी/पति/पत्नी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से रखे गए उसके खाते से वसूली योग्य होगी। कानूनी वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक आदि भी किसी भी राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसे संयुक्त खाते में गलत तरीके से जमा किया गया है।

(सी) मौजूदा पेंशनभोगी जो अपनी पेंशन ऊपर बताए अनुसार एक संयुक्त खाते में जमा कराने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित बैंक शाखा में निर्धारित फॉर्म में एक आवेदन जमा करना होगा, जहां से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। शर्तों को स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में पेंशनभोगी का जीवनसाथी भी इस पर हस्ताक्षर करेगा। ये निर्देश उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं जो इस ज्ञापन के जारी होने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

(डी) पति/पत्नी को छोड़कर जिनके पक्ष में पीपीओ में पारिवारिक पेंशन अधिकृत है, पेंशन जमा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता खोलने की अनुमति नहीं होगी। पारिवारिक पेंशनभोगी इस संशोधित योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

19. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केंद्र सरकार के पेंशन का संवितरण - रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन पर्ची जारी करना :

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी. एच-17663/45.05.031/2006-07 दिनांक 12 जून 2007)

प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि सशस्त्र सेना कर्मियों / रक्षा असैन्य पेंशनभोगियों सहित पारिवारिक पेंशनभोगियों को मौजूदा प्रणाली के अनुसार पेंशन पर्ची जारी की जाए जैसा कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों (सिविल) के लिए लागू है। सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को उपयुक्त निर्देश जारी करें।

20. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केंद्र सरकार के पेंशन का संवितरण – रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन पर्ची जारी करना :

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं 3856/45.05.031/2007-08 दिनांक 8 अक्तूबर 2007)

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने केंद्र सरकार (सिविल) पेंशनभोगियों पर लागू मौजूदा प्रणाली के समान रेलवे पेंशनभोगीयों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन पर्ची जारी करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, रेलवे पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन प्रारंभ होने पर और उसके बाद, जब भी पेंशन की मात्रा में कोई परिवर्तन होता है, निर्धारित प्रारूप के अनुसार पेंशन पर्चियां जारी की जाती है। सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को उपयुक्त निर्देश जारी करें।

21. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा असम सरकार के पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी /अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.7570/45.05.018/2007-08 दिनांक 15 जनवरी 2008 असम सरकार के 12 दिसंबर 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. पीपीजी (पी)अनुलग्नक के साथ)

असम सरकार ने उन पेंशनभोगीयों के संबंध में जिनके पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) कें उनके पति/पत्नी के पक्ष में परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार होने की स्थिति में, ऐसे पेंशनभोगीयों को पति/पत्नी के साथ संयुक्त बचत /चालू खाते में पेंशन जमा करने की सुविधा देने संबंधी संशोधन पेंशन भुगतान योजना में किया है। पेंशन के साथ संयुक्त खाता "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" या "दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी" आधार पर निम्नांकित शर्तो और निबंधनों पर परिचालित किया जा सकेगा:

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार /बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएंगा। यदि पति/पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण करते है, तो भी भविष्य में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

(बी) चूंकि पेंशन, पेंशनभोगी के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र, किसी भी मामलें में एक माह में, उसकी मृत्यु की सूचना बैंक को दी जानी चाहिए, ताकि बैंक पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर पति/पत्नि के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना जारी न रखें। हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है, तो यह संयुक्त खाते/पेंशनभोगी/पति/पत्नी के एकल या संयुक्त रूप से परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी। संयुक्त खाते में भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हेतु वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती एवं निष्पादक आदि, दायी होंगे।

(सी) पेंशनभोगी के पति/पत्नी के संयुक्त खाते पर असम पेंशन के बकाया का भुगतान (नामांकन) नियम 1987 पहले की तरह ही लागू होंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि इन नियमों के नियम 5 एवं 6 के अनुसार एक "स्वीकृत नामांकन" है तो इन नियमों में उल्लिखित बकाया शेष नामित को भुगतान किए जाएंगे।

वर्तमान पेंशनभोगी, जोकि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो, को उस बैंक शाखा में जहाँ से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे है, विहित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस पर पेंशनभोगी के पति/ की पत्नी के भी हस्ताक्षर होंगे, जोकि असम सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तो और निबंधनों को स्वीकृत करने के अभिप्राय स्वरूप होंगे। ये अनुदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं जो असम सरकार के दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या पीपीजी (पी) 92/2006/18 के जारी होने के बाद सेवानिवृत्त होंगे।

22. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा पुदुच्चेरी सरकार के पेंशनभोगीयों को पेंशन भुगतान की योजना - योजना में संशोधन।

(संदर्भ - डीजीबीए.जीएडी.9036/45.05.017/2007-08 दिनांक 19 फरवरी 2008)

17-12-2007 से पुदुच्चेरी संघशासित प्रदेश हेतु अलग लोक खाते के प्रारंभ किए जाने से, पुदुच्चेरी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना को शासकीय गजट आदेश MS.No.7/2008/FI (B) दिनांक 8 जनवरी 2008 के द्वारा संशोधित किया है। इस योजना के प्रयोजन के लिए पेंशनभोगी में संघशासित क्षेत्र पुदुच्चेरी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी शामिल होंगे। सभी एजेंसी बैंक संशोधित योजना के अनुसार उचित कार्रवाई करें।

क्रम सं.	पैरा क्र.	के लिए	यह पढ़ें
1.	2 ए(3)	लिंक शाखाओं का अर्थ है पुडुचेरी में बैंक का व्यवसाय करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा जो भुगतान करने वाली शाखा भी हो सकती है	लिंक शाखा का अर्थ, चेन्नई में स्थित, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा है।
2	10.7	भुगतान करने वाली शाखा द्वारा अनुबंध-IV में निर्धारित प्रपत्र में चौगुनी में स्क्रॉल तैयार किए जाएंगे, सिवाय वहाँ जहां भुगतान और लिंक शाखा समान है। बाद के मामलों में केवल तीन प्रतियां तैयार की जाएंगी। भुगतान करने वाली शाखा प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक अपनी लिंक शाखा को पेंशन भुगतान कीसूचना भेजेगी, भुगतान का प्रमाण पत्र सूचना पर ही दर्ज किया जाएगा। स्क्रॉल की एक प्रति भुगतान करने वाली शाखा द्वारा अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी और पैराग्राफ 14 से 14.3 के तहत	विहित प्रारूप - IV में स्क्रॉल 5 प्रतियों में भुगतान करने वाली शाखा द्वारा तैयार किया जाएंगा। स्क्रॉल की 4 प्रतियां भुगतान करने वाले शाखा द्वारा उनके क्षेत्रों की मुख्य शाखाओं यथा, पुदुच्चेरी, करईकल, माहे, यनम को सूचना पर भुगतान करने के प्रमाणपत्र को रिकार्ड कर प्रमाणपत्रों सहित, जोकि पेंशनभोगी को पैरा 14 से 14.3 के अंतर्गत दैनिक आधार पर प्रस्तुत करना होता है, भेजी जाएंगी।

		पेंशनभोगीयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के साथ स्क्रॉल की शेष प्रतियां लिंक शाखा को पेंशन भुगतान सूचना के साथ भेजी जाएंगी।	
3	11	भुगतान सूचना और सभी भुगतान करने वाली शाखाओं से आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ स्क्रॉल की तीन प्रतियां प्राप्त होने पर, लिंक शाखा प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक स्क्रॉल और सहायक दस्तावेजों की दो प्रतियां सारांश पत्र और विधिवत मुद्रित रसीद के साथ पेंशनभोगियों की ओर से सरकार से राशि की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, पुडुचेरी भेजेगी। स्क्रॉल की तीन प्रतियां और भुगतान करने वाली शाखाओं से प्राप्त भुगतान सूचना संबंधित लिंक शाखा द्वारा बनाए रखी जाएगी।	सभी भुगतान करने वाली शाखाओं से भुगतान सूचनाएं एवं स्क्रॉल(4 प्रतियों में) आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ प्राप्त करने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संबंधित क्षेत्र की मुख्य शाखा दैनिक आधार पर स्क्रॉलकी तीन प्रतियां एवं आवश्यक सहायक दस्तावेज, सारांशीकृत पत्रक और पेंशनभोगियों के वास्ते सरकार से प्राप्ति स्टांप युक्त रसीद के साथ राजकोष/उप राजकोष को भेजेगी। भुगतान करनेवाली शाखा से प्राप्त स्क्रॉल की चार प्रतियां एवं भुगतान सूचनाएं संबंधित मुख्य शाखा अपने पास रखेगी। मुख्य शाखाओं द्वारा भुगतान के विवरण दैनिक आधार पर चेन्नई स्थित संबद्ध लिंक शाखाओं को सूचित किए जाएंगे।
	11.1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लिंक शाखा से स्क्रॉल आदि प्राप्त होने पर, भारतीय स्टेट बैंक, पुदुचेरी यह सुनिश्चित करने के लिए स्क्रॉल की जांच करेगा कि यह सभी मामलों में पूर्ण है और इसमें शामिल प्रत्येक भुगतान के संबंध में प्रासंगिक प्रमाण पत्र (ओं) के साथ है। इसके बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा वितरित पेंशन की शुद्ध राशि की प्रतिपूर्ति पुडुचेरी सरकार के खाते में डेबिट द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को की जाएगी। लिंक शाखा से प्राप्त स्क्रॉल और अन्य सहायक दस्तावेजों की दोनों प्रतियों के साथ डेबिट सूचना की एक प्रति भारतीय स्टेट बैंक, पुडुचेरी द्वारा लेखा और कोषागार,	मुख्य शाखा से स्क्रॉल आदि संबंधित राजकोष कार्यालय /उप-राजकोष कार्यालय पुदुच्चेरी/ करईकल/माहे/ यनम को प्राप्त होने पर राजकोष अधिकारी/उप राजकोष अधिकारी स्क्रॉल को, उसकी सभी दृष्टि से पूर्णता, उनमें शामिल सभी भुगतानों के संबंध में संबद्ध दस्तावेजों की मौजूदगी की जांच कर, स्क्रॉल की दो प्रति विधिवत रूप से उसकी सत्यता को प्रमाणित करते हुए, उसे संबंधित मुख्य शाखा को लौटाएगा। मुख्य शाखा माह की अंतिम तारीख को तारीखवार मासिक भुगतान स्क्रॉल की 5 प्रतियां तैयार करेगी एवं इसे राजकोष /उप राजकोष कार्यालय

		पेंशन के उप निदेशक को भेजी जाएगी।	को सत्यापन हेतु भेजेगी। विधिवत सत्यापित वीडीएमएस की दो प्रतियां राजकोष अधिकारी/ उप राजकोष अधिकारी, प्राप्ति के दो दिनों में मुख्य शाखा को वापस भेजेगा और मुख्य शाखा वीडीएमएस को प्राप्ति के दिन ही लिंक कार्यालय को फैक्स से भेजेगा। लिंक कार्यालय वीडीएमएस को समेकित कर इसे आने वाले महिने की 8 तारीख तक पीएडी को प्रतिपूर्ति के लिए भेजेगा।

23. पेंशनभोगीयों को प्राधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी / अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।

(संदर्भ डीजीबीए जीएडी क्र.11653/45.05.013/2007-08 दिनांक 6 मई 2008)

महाराष्ट्र सरकार ने उन पेंशनभोगीयों के संबंध में जिनके पेंशन भुगतान आदेश(पीपीओ) में उनके पति/पत्नि के पक्ष में परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार होने की स्थिति में ऐसे पेंशनभोगीयों के उनके पति /पत्नि के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करने की सुविधा देने संबंधी संशोधन पेंशन भुगतान योजना में किया है।

(ए) पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" या "दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी" आधार पर निम्नांकित शर्तो और निबंधनों पर परिचालित किया जा सकेगा।

(बी) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार/बैंक या दायित्व समाप्त समझा जाएंगा। यदि पति/पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण करते है तो इसके लिए पेंशनभोगी उत्तरदायी होगा। पेंशनभोगी

(सी) चूंकि पेंशन, पेंशनभोगी के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र, किसी भी मामलें में एक माह में उसकी मृत्यु की सूचना लेखा अधिकारी/राजकोष अधिकारी/ बैंक को दी जानी चाहिए, पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर राजकोषीय कार्यालय से सूचना प्राप्त होने पर, बैंक पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना बंद कर देगा।

(डी) यदि पेंशनभोगी के द्वारा संयुक्त खाते के धारकों के पक्ष में कोई नामांकन नही है, तो इस स्थिति में उसकी मृत्यु होने पर बिना सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के बकाया राशि का आहरण नहीं किया जा सकेगा। हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है, तो वह संयुक्त खाते /पति/पत्नी/पेंशनभोगी के एकल या संयुक्त रूप में परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी।

(ई) पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद यदि किसी भौतिक जानकारी के अभाव में कोई पेंशन राशि संयुक्त खातें में जमा की जाती है और यदि वह राशि बैंक खातें में जमा है, तो यह सरकार को वापस लौटा दी जाएंगी।

वर्तमान पेंशनभोगी जोकि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो, उन्हे वेतन एवं लेखा अधिकारी, मुंबई/राजकोषीय अधिकारी जहां से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे है, विहित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

यदि पेंशनभोगी/संयुक्त खाता धारक को सरकारी आदेश के द्वारा जारी शर्ते एवं निंबधन स्वीकार है तो इस आशय का घोषणा पत्र पेंशनभोगी से प्राप्त होने पर संबंधित राजकोष/वेतन एवं लेखा अधिकारी, मुंबई बैंक को पेंशनभोगी का संयुक्त खाता परिचालित करने का आदेश जारी करेगा।

24. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उत्तरप्रदेश सरकार के पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नि / अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।

(संदर्भ - डीजीबीए.जीएडी.क्र.एच 12499/45.05.010/2007-08 दिनांक 4 जून 2008)

उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नांकित शर्तो एवं निबंधनों के अधीन एकल खाते के साथ-साथ केद्रीय सरकार पेंशन योजना के समान संयुक्त खाते में भी पेंशन जमा करने की अनुमति प्रदान करने हेतु, पेंशन भुगतान करने की योजना में संशाधन किया है।

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार/बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएंगा। यदि पति/पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण करते है, तो भी भविष्य में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

(बी) पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर एक माह में उसकी मृत्यु की सूचना राजकोष कार्यालय को दी जानी चाहिए, ताकि राजकोष कार्यालय द्वारा पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना बंद कर दी जाएंगी। हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है, तो यह पेंशनभोगी के एकल या संयुक्त रूप से परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी। इस प्रकार भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हेतु वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती एवं निष्पादक आदि भी दायी होंगे।

(सी) यह सुविधा वर्तमान/भविष्य के पेंशनभोगीयों के लिए उपलब्ध है।

वर्तमान पेंशनभोगी, जोकि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो,को उस बैंक/ राजकोष कार्यालय में जहाँ से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे है, एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

दिनांक 19 जुलाई 2001 के सरकारी आदेश के साथ पठित सरकारी आदेश दिनांक 16 दिसंबर 1996 एवं 6 अप्रैल 1985 उपरोक्त सरकारी आदेश की सीमाओं में संशोधित माने जाएं। अन्य शर्ते एवं निबंधन अपरिवर्तनीय रहेंगे।

25. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उत्तराखंड सरकार के पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगी द्वारा परिवार पेंशनभोगी / नामिति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.एच 12656/45.05.010/2007-08 दिनांक 5 जून 2008)

उत्तराखंड सरकार ने उन पेंशनभोगीयों के संबंध में, जिनके पेंशन भुगतान आदेश(पीपीओ) में उनके परिवार पेंशनभोगी/नामित के पक्ष में परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार है, ऐसे पेंशनभोगीयों को एकल खाते के अलावा परिवार पेंशनभोगी/नामित के साथ संयुक्त बैंक खाता में भी पेंशन जमा करने की सुविधा देने के लिए पेंशन भुगतान योजना मे निम्नांकित शर्तों और निबंधनों के अधीन संशोधन किया हैं।

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में राजकोष के द्वारा जमा हो जाने पर सरकार /बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएंगा। यदि परिवार पेंशनभोगी (पति/पत्नी) या पीपीओं में नामित व्यक्ति अनुचित रूप से संयुक्त खाते से राशि का आहरण करते है, तो पेंशनभोगी/ संयुक्त खाता धारक इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

(बी) चूंकि पेंशन पेंशनभोगी के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र उसकी मृत्यु की सूचना बैंक/ राजकोष को दी जानी चाहिए, ताकि राजकोष पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना बंद कर दें। हालांकि यदि होई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है तो यह संयुक्त खाता धारक (पेंशनभोगी/पति/पत्नी नामित)से पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात वसूली योग्य होगी। पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद संयुक्त खात में भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हंतू वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती एवं नामित आदि, दायी होंगे।

(सी) उपरोक्त शासकीय आदेश की सीमाओं में रहते हुए दि. 08/11/1985 का शासकीय आदेश संशोधित माना जाएंगा एवं अन्य शर्ते एवं निबंधन यथावत रहेंगे।

भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, जोकि संयुक्त खाता खोलने के इच्छुक है, विहित फार्म-1 (संलग्न) में पेंशन आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे। हालांकि मौजूदा पेंशनभोगी, जो राजकोष से पेंशन प्राप्त कर रहे है, राजकोष/बैंक में विहित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर संयुक्त खाता खोल सकते है।

26. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार पेंशन का संवितरण - पेंशन पर्ची जारी करना
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच.12704/45.05.005/2007-08 दिनांक 11 जून 2008)

पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार (सिविल) पेंशनभोगियों पर लागू मौजूदा प्रणाली के समान अपने राज्य पेंशनभोगियों को पेंशन पर्ची जारी करने का निर्णय लिया है।. तदनुसार, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को पेंशन शुरू होने पर पेंशनभोगियों को पेंशन पर्ची जारी करने के लिए निर्देश जारी करें और उसके बाद, जब भी पेंशन की मात्रा में परिवर्तन हो।

27. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उड़ीसा सरकार के पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी / अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.एच 13024/45.05.006/2007-08 दिनांक 24 जून 2008)

उड़ीसा सरकार ने पेंशनभोगीयों के उनके पति/पत्नी के साथ संयुक्त बचत/चालू खाते में पेंशन जमा करने की सुविधा देने संबंधी संशोधन, पेंशन भुगतान योजना में किया हैं। पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" या "दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी" आधार पर निम्नांकित शर्तो और निबंधनों पर परिचालित किया जा सकेगाः

(ए) एक बार पेंशन बैंक खाते में जमा हो जाने पर सरकार/ बैंक का दायित्व समाप्त समझा जाएंगा। यदि पति/पत्नी अनुचित रूप से राशि या आहरण करते है, तो भी भविष्य में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

(बी) जैसा कि पेंशन पेंशनभोगी के जीवित रहते ही भुगतान योग्य है, अतः पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर अतिशीघ्र, किसी भी मामलें में एक माह में, उसकी मृत्यु की सूचना बैंक को दी जानी चाहिए,ताकि बैंक पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा करना जारी न रखें। हालांकि यदि कोई राशि संयुक्त खाते में भूल से जमा कर दी जाती है, तो यह संयुक्त खाते/ पेंशनभोगी / पति/पत्नी के एकल या संयुक्त रूप से परिचालित किसी खाते से वसूली योग्य होगी। संयुक्त खाते में भूलवश जमा किसी भी राशि को वापस जमा करने हेतु वैधाविक उत्तराधिकारी, परवर्ती एवं निष्पादक आदि, दायी होंगे।

पेंशनभोगी को यह घोषणा पत्र देना होगा कि यदि पेंशनभोगी के खातें/ संयुक्त खातें में कोई अधिक राशि जमा कर दी जाती है, तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी, परवर्ती, निष्पादक आदि उसकी धन वापसी के लिए उत्तरदायी होंगे।

(सी) पेंशनभोगी के पति/पत्नी के संयुक्त खाते पर पेंशन के बकाया का भुगतान पहले की तरह ही चालू रहेंगें। बशर्ते कि उड़ीसा राजकोष संहिता खंड - 1 के एस.आर. 318 के साथ संलग्न नोट-ए के अनुसार एक स्वीकृत नामांकन उपलब्ध है।

वर्तमान पेंशनभोगी जो कि अपने पेंशन का भुगतान एक संयुक्त खाते में चाहते हो, को उस बैंक शाखा में जहां से वे वर्तमान मे पेंशन प्राप्त कर रहे है, विहित प्रारुप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय ज्ञापन क्र. 26848 दिनांक मई 24, 2008 में निर्दिष्ट शर्तो एवं निबंधनों को स्वीकार करने की पुष्टि स्वरुप पेंशनभोगी के पति/पत्नि को भी इस आवेदन में हस्ताक्षर करने होंगें। कार्यालय ज्ञापन क्र.टीआरडी-22/07 26848/एफ दिनांक मई 24, 2008 के जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगीयों पर भी ये निर्देश लागू होंगे।

28. गोवा सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन का वितरण - पेंशन पर्ची जारी करना।
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच.924/45.05.012/2008-09 दिनांक 23 जुलाई 2008)

राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के समान पेंशन पर्ची प्रदान करने का मुद्दा राज्य वित्तीय सचिवों के सम्मेलन में उठाया गया था। गोवा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनके पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने पर और उसके बाद, जब भी पेंशन की मात्रा में परिवर्तन होता है, जैसा कि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के मामले में किया जा रहा है, अपेक्षित प्रारूप में पेंशन पर्चियां जारी की जाएंगी। सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया कि वे तदनुसार अपनी पेंशन संवितरण शाखाओं को अनुदेश जारी करें।

29. **प्राधिकृत बैंकों द्वारा टेलीकॉम पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान की योजना - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी / अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।**

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 1917/45.04.001/2008-09 दिनांक 21 अगस्त 2008)

केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (सीपीएओ) के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन को डीओटी/एक्स-डॉट, डीटीएस और डीटीओ पेंशनभोगी (बीएसएनएल में अवशोषित) द्वारा संचालित संयुक्त खाते में जमा करने और अधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की अनुमति दी जाए, जिसके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में पारिवारिक पेंशन के लिए प्राधिकरण मौजूद है। पति या पत्नी के साथ पेंशनभोगी का संयुक्त खाता या तो 'पूर्व या उत्तरजीवी' या "दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी आधार पर संचालित किया जा सकता है, जैसा कि भारत सरकार, संचार मंत्रालय और आईटी, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है। सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे तदनुसार अपनी पेंशन संवितरण शाखाओं को अनुदेश जारी करें।

30. प्राधिकृत बैंकों द्वारा आंध्रप्रदेश सरकारी पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान की योजना - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी / अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 1918/45.05.016/2008-09 दिनांक 21 अगस्त 2008)

आंध्रप्रदेश सरकार ने पेंशनभोगीयों के पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में पेंशन जमा की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की है कि आंध्रप्रदेश सरकार के आदेश में दिए अनुसार सेवा पेंशनभोगी के पति /पत्नी द्वारा एक शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। तदनुसार सभी एजेंसी बैंक को उनकी पेंशन भुगतान करनेवाली शाखाओं को निर्देश जारी करने के लिए सूचित किया गया है।

31. ग्राहक सेवा पर प्रभाकर राव समिति की सिफारिशें – पेंशन भुगतान।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 3085/45.01.001/2008-09 दिनांक 01 अक्तूबर 2008)

प्रभाकर राव समिति की पेंशन भुगतान से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है एवं तदनुसार सभी एजेंसी बैंक को उनकी पेंशन भुगतान करनेवाली शाखाओं को इन सिफारिशों के अनुपालन करने का निर्देश जारी करने के लिए एवं साथ ही जांच बिंदुओं की सूची (संलग्न) के अनुसार शाखाओं के कार्य की तत्संबंधी मदों की जांच के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों /निरीक्षकों को निर्देश देने एवं उनकी रिपोर्ट में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर टिप्पणियों जोकि रिज़र्व बैंक के निरीक्षक अधिकारियों को शाखा के दौरे के समय उपलब्ध कराई जाएं, के लिए सूचित किया गया है।

32. 6 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का अनुपालन – 2006 के पहले के पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगीयों आदि की पेंशन में संशोधन।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 3699/45.01.001/2008-09-09 दिनांक 17 अक्तूबर 2008)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 1 सितंबर 2008 के पत्र सं 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू(ए) के द्वारा जनवरी 2006 से 2006 के पहले के पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगीयों की पेंशन के नियमितीकरण की स्वीकृति दी है। ये आदेश 1 जनवरी 2006 को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अंतर्गत पेंशन / परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगीयों पर लागू होंगे। सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम एवं तत्सम नियम रेल्वे एवं अखिल भारतीय सेवा के पेंशनभोगीयों एवं दिनांक 1 जनवरी 1973 को/के बाद सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लागू है। ये आदेश सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं अन्य संवैधानिक/सांविधिक प्राधिकारियों, जिनकी पेंशन किसी अलग नियम/आदेश से शासित होती है, पर लागू नही होंगे।

तदनुसार सभी एजेंसी बैंकों को पेंशनभोगीयों को पेंशन भुगतान करते समय सरकार की इन सिफारिशों के अनुपालन करने का निर्देश जारी करने के लिए सूचित किया गया है।

33. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केन्द्रीय सरकार /सिविल / रक्षा/ रेल्वे/ दूरसंचार / स्वतंत्रता सेनानी / राज्य सरकार पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भिन्नकालिक समय में पेंशन भुगतान

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 7652/45.05.031/2008-09 दिनांक 03 मार्च 2009)

हमें पेंशनभोगीयों की माह के अंतिम चार कार्यदिवसों पर पेंशन भुगतान न करने की बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही है। एजेंसी बैंकों द्वारा अंतिम कार्यदिवस पर पेंशन भुगतान किया जा रहा है जिससे उन्हें लंबी कतारों मे खड़ा रह कर परेशानी उठानी पड़ती है।

इस संबंध में, हमने अपने दिनांक 01 जून 1995 के परिपत्र क्र. जीए.एनबी नं 307/45.01.001/94-95 में सभी बैंकों को यह निर्देश दिया था कि मार्च के महीने को छोड़कर, जिसके लिए अप्रैल के प्रथम कार्यदिवस पर पेंशन भुगतान किया जाता है, बाकी सभी महीनों में अंतिम चार कार्यदिवसों पर पेंशन भुगतान किया जाना है।

34. एजेंसी बैंकों की पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा पेंशन पर्ची जारी करना/ पीपीओ को अद्यतन करना।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 9326/44.01.001/2008-09 दिनांक 29 अप्रैल 2009)

हालांकि एजेंसी बैंकों को पेंशन पर्ची जारी करना/ पीपीओ को अद्यतन करने के लिए उचित निर्देश जारी किए गए थे किंतु पेंशनभोगी संघों से पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं के द्वारा पेंशन पर्ची जारी न करने की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने यह शिकायत भी की है कि जब भी सरकार के विभिन्न विभाग पेंशन की मूल दर में बदलाव करती है, तब पेंशन भुगतान करने वाली शाखाएं पीपीओ के दोनो हिस्सों को अद्यतन नही करती है। तदनुसार हमने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पीएडी के निरीक्षणकर्ता अधिकारी एजेंसी बैंकों का निरीक्षण करते समय पेंशन पर्ची एवं पीपीओ के अद्यतन होने की जांच करें और इस बारे में विशेष टिप्पणी भी करें।

35. पेंशन के अधिक भुगतान की राशि सरकारी खातों मे वसूली/प्रतिपूर्ति।
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 10450/45.03.001/2008-09 दिनांक 01 जून 2009)

भारत सरकार ने हमें सूचित किया है कि बैंकों द्वारा किए गए पेंशन के अधिक भुगतान बैंकों द्वारा सरकारी खाते मे एकमुश्त जमा नही किए जाते एवं किश्तों में पेंशनभोगीयों से वसूल किए जाने के बाद जमा किए जाते है। चूंकि इससे सरकार को हानि होती है, अत: सभी एजेंसी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि जब भी कोई अधिक भुगतान का पता चले, पूरी राशि तत्काल ही एकमुश्त सरकारी खाते में जमा कर दी जाएं।

36. केरल सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन का वितरण - पेंशन पर्ची जारी करना।

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 2090/45.05.015/2009-10 दिनांक 1 सितंबर 2009)

राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के समान पेंशन पर्ची प्रदान करने का मुद्दा राज्य वित्तीय सचिवों के सम्मेलन में उठाया गया था। केरल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनके पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने पर और उसके बाद, जब भी पेंशन की मात्रा में परिवर्तन होता है, जैसा कि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के मामले में किया जा रहा है, अपेक्षित प्रारूप में पेंशन पर्चियां जारी की जाएंगी। सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया कि वे तदनुसार अपनी पेंशन संवितरण शाखाओं को अनुदेश जारी करें।

37. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से रेल्वे पेंशनभोगीयों को पेंशन भुगतान की योजना – ड्यू एंड ड्रान स्टेटमेंट जारी करना।
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 2084/45.03.001/2009-10 दिनांक 01 सितंबर 2009)

रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि बैंक पेंशन में संशोधन होने के कारण हुए भुगतान के विवरण पेंशनभोगीयों को सूचित नही कर रहे है। पेंशन एरियर्स के भुगतान के कार्य मे अधिक पारदर्शिता लाने के लिए रेल मंत्रालय ने हमसे अनुरोध किया है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रेल्वे पेंशनभोगीयों को ड्यू एंड ड्रान स्टेटमेंट जारी करने का निर्देश दें। तदनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को निर्देश जारी करें कि जब भी पेंशन में बदलाव/संशोधन हो, रेल्वे पेंशनभोगीयों को विधिवत प्रारुप में ड्यू एंड ड्रान स्टेटमेंट जारी किया जाए ताकि पेंशनभोगीयों को असुविधा न हो। उन्हें इस मामले में की गई कार्रवाई की सूचना रिज़र्व बैंक को सूचित करते हुए रेल मंत्रालय को रिपोर्ट करने को कहा गया है।

38. पेंशनभोगियों को किए गए अतिरिक्त/गलत भुगतानों की वसूली

(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 2084/45.03.001/2009-10 दिनांक 15 सितंबर 2009)

सरकारों/विभागों से कई संदर्भ प्राप्त होने पर कि बैंक पेंशन की अधिक राशि या अधिक भुगतान की राशि एकमुश्त वापस नहीं कर रहे हैं, हमने 18 अप्रैल, 1991 और 1 जून, 2009 के अपने परिपत्र द्वारा जारी अनुदेशों को दोहराया है ताकि क्रमशः अतिरिक्त भुगतानों की वसूली और अतिरिक्त/अधिक भुगतान की एकमुश्त वापसी की जा सके।

39.सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा केन्द्रीय सिविल/रक्षा/रेल्वे/दूर संचार/स्वतंत्रता सेनानियों/राज्य सरकारों के पेंशनभोगीयों की पेंशन के भुगतान की योजना - वृध्द / रुग्ण/ विकलांग/अक्षम पेंशनभोगीयों द्वारा पेंशन आहरण की सुविधा।
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच-3194/45.01.001/2009-10 दिनांक 14 अक्तूबर 2009)

यह पाया गया कि आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का बैंक कर्मचारियों एवं पेंशनभोगीयों की अनभिज्ञता के कारण ठीक से पालन नही किया जा रहा है। रुग्ण एवं विकलांग पेंशनभोगीयों को बैंक से पेंशन/ परिवार पेंशन के आहरण में आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए एजेंसी बैंकों को पहले जारी निर्देशों को दोहराया है और उन्हें रुग्ण और विकलांग पेंशनभोगीयों के प्रकरणों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत करने को सूचित किया है:

1. ऐसा पेंशनभोगी जो इतना अधिक रुग्ण है कि उसके लिए चेक पर हस्ताक्षर करना मुश्किल है और अपने बैंक खाते में से धन निकालने के लिए बैंक में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है।

2. ऐसा पेंशनभोगी जो न केवल बैंक में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ है बल्कि किसी शारीरिक दोष/असमर्थता के कारण वह चेक /आहरण फार्म पर अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकता है।

ऐसे वृद्ध/रुग्ण/विकलांग पेंशनभोगीयों को अपने खाते को सुविधा से परिचालित करने में समर्थ बनाने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुसरण करें।

(क) जहां कही भी वृद्ध/ रुग्ण पेंशनभोगी के अंगूठे या पैर की अंगूली का निशान लिया जाता है उसकी पहचान दो स्वतंत्र साक्षीयों द्वारा की जानी चाहिए जिन्हे बैंक जानता हो और इनमें से एक व्यक्ति कोई जिम्मेदार बैंक अधिकारी होना चाहिए।

(ख) जहां पेंशनभोगी अपने अंगूठे/ पैर की अंगूली का निशान भी नही लगा सकता है तथा बैंक में स्वयं उपस्थित होने में भी असमर्थ है, वहां चेक/आहरण फार्म पर एक चिह्न लगवाया जा सकता है जिसकी पहचान दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा की जानी चाहिए और इनमे से एक व्यक्ति कोई जिम्मेदार बैंक अधिकारी होना चाहिए।

तदनुसार एजेंसी बैंकों से अनुरोध है कि अपनी शाखाओं को सूचित करें कि उपरोक्त दिशानिर्देशों को नोटिस बोर्ड पर मुख्यता से दर्शाए, ताकि बीमार एवं विकलांग पेंशनभोगी इन सुविधाओं पूरा फायदा उठा सके। बैंकों से अनुरोध है कि अपने स्टाफ सदस्यों को इस संबंध में जागरूक बनाए और संदेह की स्थिति में हमारी वेबसाईट (www.rbi.org.in) पर पेंशन वितरण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखें।

40. एजेंसी बैंकों द्वारा केन्द्रीय / राज्य सरकार पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान –विलंब के लिए क्षतिपूर्ति।

(संदर्भ डीओ.सं.सीएसडी.सीओ/8793/13.01.001/2009-10 दिनांक 9 अप्रैल 2010, डीजीबीए.जीएडी.सं एच-46/45.01.001/2010-11 दिनांक 2 जुलाई 2010, डीजीबीए.जीएडी.सं.एच -6212 एवं 6213/45.01.001/2010-11 दिनांक 11 मार्च 2011 और डीजीबीए.जीएडी.सं.एच -6760 एवं 6762/45.01.001/2011-12 दिनांक 13 अप्रैल 2012)

भारतीय रिज़र्व बैंक को पेंशनभोगीयों से संशोधित पेंशन और बकाया राशि के भुगतान में अत्यधिक विलंब किए जाने के आरोप वाली कई शिकायतें मिल रही है। इस स्थिति की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समीक्षा की गई और एजेंसी बैंकों निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए:

i) 1 अक्टूबर 2008 के बाद से किए गए पेंशन / पेंशन बकाया भुगतान के संबंध में बैंकों को पेंशनभोगी द्वारा दावें की प्रतीक्षा किए बिना, भुगतान के लिए निर्धारित तिथि के बाद देरी से भुगतान की अवधि के

लिए, पेंशनभोगी के खातें में स्वत: ही संशोधित पेंशन / पेंशन बकाया भुगतान के समय बैंक रेट+2% की निश्चित दर पर क्षतिपूर्ति राशि जमा करनी होगी।

ii) पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से निर्देश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना पेंशन भुगतान प्राधिकारियों से सीधे पेंशन आदेश की प्रतियां प्राप्त करने की व्यवस्था को क्रियांवित करने के लिए कहा गया है, ताकि पेंशनभोगीयों को सरकार के द्वारा घोषित लाभ अगले महीने की पेंशन के साथ ही मिल जाए।

iii) पेंशन भुगतान सहित ग्राहक सेवा को प्रदान करने की प्रणाली की समीक्षा की जाए।

iv) शाखा पेंशनभोगी के लिए संपर्क बिंदु बनी रहे अन्यथा वें व्यवस्था से कटा हुआ महसूस करते है।

v) सभी पेंशन खाता रखने वाली शाखाओं को पेंशनभोगीयों की बैंक के साथ अपने सभी लेनदेन के लिए सहायता और मार्गदर्शन करना चाहिए।

vi) पेंशन गणना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट पर या शाखाओं में निश्चित अंतराल पर उपलब्ध कराई जाए एवं इसके प्रचार के लिए समुचित व्यवस्था की जाए।

vii) पेंशन भुगतान के संबंध में एजेंसी कमीशन के लिए सभी दावें, कार्यपालक निदेशक /प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, सरकारी कारोबार (एसबीआई एवं इसके सहयोगी बैंकों के मामले में) के, इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ होना चाहिए कि कोई पेंशन बकाया क्रेडिट करने के लिए बाकी नहीं है / पेंशन/पेंशन बकाया की जमा में देरी नही की गई है।

41. रेल्वे पेंशन भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत। (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच - 6493/45.03.001/2010-11 दिनांक 21 मार्च 2011)

बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ रेलवे पेंशन की प्रतिपूत के मामले में एकल खिड़की प्रणाली (एसडब्ल्यूएस) 1 अप्रैल, 2011 से शुरू की गई है। 'प्रतिपूर्ति बैंक' यानी आरबीआई (पीएडी), भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक 1 अप्रैल, 2011 से इन बैंकों द्वारा किए गए रेलवे पेंशन भुगतान की प्रतिपूर्ति करना बंद कर देंगे। तथापि, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने रेलवे पेंशन भुगतानों के लिए एसडब्ल्यूएस के कार्यान्वियन के लिए 30 जून, 2011 तक का समय बढ़ाने का अनुरोध किया है।

मास्टर परिपत्र द्वारा समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र संख्या	तारीख	विषय
1	संदर्भ.डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-416/45.01.003/2002-03 संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.770/45.01.003/2003-04	21.3.2003 25.02.2004	राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को दी जानेवाली महंगाई राहत इत्यादि संबंधी सरकारी आदेशों को राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित करना पेंशन संबंधी परिपत्रों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डालना
2	संदर्भ.डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-506/45.01.001/2002-03	12.4.2003	केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान -पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय महंगाई राहत - इत्यादि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से भेजना **बंद करना।**
3	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच. 94/45.05.031/2004-05	24.08.2004	फॉर्म "ए" और "बी" में नामांकन स्वीकार करना - केंद्रीय सिविल/ रेल्वे पेंशन
4	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.612-644/45.01.001/2004-05	07.10.2004	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले अखिल भारतीय सेवा-अधिकारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए प्रक्रिया का कार्यान्वयन।

5	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.867-899/45.02.001/2004-05	18.10.2004	रक्षा पेंशनभोगीयों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान की योजना - पेंशन भुगतान स्क्रॉल प्रस्तुत करने में देरी और जाली तथा कपटपूर्ण भुगतान टालने के उपाय।
6	सं.आर बी आई/2005/334 (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.3389-3421/ 45.02.001/2004-05)	06.1.2005	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रेलवे पेंशनभोगीयों को पेंशन भुगतान की योजना - कपटपूर्ण भुगतान टालने हेतु उपाय।
7	संदर्भ: डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.3452-3485/ 45.01.001/2004-05	11.01.2005	केंद्रीय सिविल पेंशन का भुगतान - पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) के दोनों अर्धांशों में महंगाई राहत की प्रविष्टि।
8	संदर्भ डीजीबीए.जीडीडी.क्र.एच-6073/ 45.05.031/2004-05	30.05.2005	एजेंसी बैंकों द्वारा रेल्वे पेंशन का भुगतान
9	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच. 3611/45.03.002/2005-06	10.10.2005	फॉर्म "ए" और "बी" में नामांकन स्वीकार करना - केंद्रीय सिविल/ रेल्वे पेंशन
10	संदर्भ डीजीबीए.जीडीडी.क्र.एच-10746/ 45.03.001/2005-06	24.01.2006	रेल्वे के पेंशनभोगीयों को सार्वजनिक क्षेत्र के/ अधिकृत बेंकों द्वारा पेंशन का भुगतान की योजना - रेल मंत्रालय द्वारा सात नए अंचलों के वि.सं. एवं मु.ले.अ. का नामांकन
11	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.11303/ 45.01.003/2005-06	06.02.2006	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का वितरण - महंगाई राहत(डीआर) का भुगतान

12	संदर्भ डीजीबीए.जीडीडी.क्र.एच-12736/ 45.03.001/2005-06	24.02.2006	अधिकृत बेंकों द्वारा पेंशन का भुगतान पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी /अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।
13	संदर्भ डीजीबीए.जीडीडी.क्र.एच-2134/ 45.02.001/2006-07	04.08.2006	अधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान -पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी /अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।
14	डीजीबीए.जीएडी.सं. 6926/45.05.005/2006-07	30.10.2006	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल (भाग ए) सरकारी पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की योजना - पेंशनभोगी द्वारा अपने पति/पत्नी के साथ संचालित संयुक्त बैंक खाते में पेंशन जमा करना।
15	डीजीबीए.जीएडी.सं.एच - 8973/45.05.003/2006-07	24.11.2006	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पंजाब सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की योजना।
16	संदर्भडीजीबीए.जीएडी.एच 10975/45.05.031/2006-07	09.01.2007	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केंद्रीय सरकारी पेंशन का भुगतान - पेंशन पर्ची जारी करना
17	डीजीबीए.जीएडी.सं.एच - 13834/45.02.001/2006-07	13.03.2007	रक्षा पेंशन भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली की शुरूआत
18	डीजीबीए.जीएडी.सं.एच- 14279/45.05.024/2006-07	23.03.2007	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की योजना

19	डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-17663/45.05.031/2006-07	12.06.2007	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केंद्र सरकार के पेंशन का संवितरण - रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन पर्ची जारी करना
20	संदर्भडीजीबीए.जीएडी. 3856/45.05.031/2007-08	08.10.2007	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केंद्र सरकार के पेंशन का संवितरण – रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन पर्ची जारी करना
21	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.7570/ 45.05.018/2007-08	15.01.2008	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा असम सरकार के पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी /अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।
22	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.9036/ 45.05.017/2007-08	19.02.2008	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंको द्वारा पुदुच्चेरी सरकार के पेंशनभोगीयों को पेंशन भुगतान की योजना - योजना में संशोधन
23	संदर्भ डीजीबीए जीएडी क्र. 11653/45.05.013/2007-08	06.05.2008	अधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।
24	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.एच-12499/ 45.05.010/2007-08	04.06.2008	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उत्तरप्रदेश सरकार के पेंशनभोगीयों पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नि/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।

25	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.एच 12656/ 45.05.010/2007-08	05.06.2008	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उत्तराखंड सरकार के पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नि/अपने पति/नामित के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।
26	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 12704/ 45.05.005/2007-08	11.06.2008	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के पेंशन का संवितरण – पेंशन पर्ची जारी करना
27	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.एच 13024/ 45.05.006/2007-08	24.06.2008	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा उड़ीसा सरकार के पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी/ अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।
28	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.क्र.एच. 924/45.05.012/2008-09	23.07.2008	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा गोवा सरकार के पेंशन का संवितरण – पेंशन पर्ची जारी करना
29	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 1917/ 45.04.001/2008-09	21.08.2008	प्राधिकृत बैंकों द्वारा दूरसंचार पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान की योजना - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में पेंशन जमा किया जाना।
30	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 1918/ 45.05.016/2008-09	21.08.2008	प्राधिकृत बैंकों द्वारा आंध्रप्रदेश सरकारी पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान की योजना - पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते में

			पेंशन जमा किया जाना।
31	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 3085/ 45.01.001/2008-09	01.10.2008	ग्राहक सेवा पर प्रभाकर राव समिति की सिफारिशें– पेंशन भुगतान
32	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 3699/ 45.01.001/2008-09	17.10.2008	6 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का अनुपालन – 2006 के पहले के पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगीयों आदि की पेंशन में संशोधन
33	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 7652/ 45.05.031/2008-09	03.03.2009	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केन्द्रीय सरकार /सिविल / रक्षा/ रेल्वे/ दूरसंचार / स्वतंत्रता सेनानी / राज्य सरकार पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भिन्नकालिक समय में पेंशन भुगतान
34	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 9326/ 44.01.001/2008-09	29.04.2009	एजेंसी बैंकों की पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा पेंशन पर्ची जारी करना/ पीपीओ को अद्यतन करना
35	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 10450/45.03.001/2008-09	01.06.2009	पेंशन के अधिक भुगतान की राशि सरकारी खातों मे वसूली/प्रतिपूर्ति
36	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 2090/45.05.015/2009-10	01.09.2009	केरल सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन का संवितरण- पेंशन पर्ची

37	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 2084/45.03.001/2009-10	01.09.2009	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से रेल्वे पेंशनभोगीयों को पेंशन भुगतान की योजना – ड्यू एंड ड्रान स्टेटमेंट जारी करना।
38	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 2434/ 45.05.031/2009-10	15.09.2009	पेंशन के अधिक भुगतान की राशि सरकारी खातों मे वसूली/प्रतिपूर्ति
39	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.एच 3194/45.01.001/2009-10	14.10.2009	सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा केन्द्रीय सिविल/रक्षा/रेल्वे/दूर संचार/स्वतंत्रता सेनानियों/ राज्य सरकारों के पेंशनभोगीयों की पेंशन के भुगतान की योजना - वृध्द / रुग्ण/ विकलांग पेंशनभोगीयों द्वारा पेंशन आहरण की सुविधा
40	संदर्भ डीओ.सं.सीएसडी.सीओ /8793/13.01.001/2009-10 संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं एच-46 /45.01.001/2010-11 संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-6212 और 6213/45.01.001/2010-11	09.04.2010 02.07.2010 11.03.2011	एजेंसी बैंकों द्वारा केन्द्रीय / राज्य सरकार पेंशनभोगीयों को पेंशन का भुगतान – विलंब के लिए क्षतिपूर्ति।
41	संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-6493/45.03.001/2010-11	21.03.2011	रेल्वे पेंशन भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत

*****